न्यायालय उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर, आजमगढ़।

वाद संख्या-टी0201915060600527 अन्तर्गत धारा-80उ0प्र0राजस्व संहिता अधिनियम2006

मनीष कुमार यादव पुत्र धर्मू प्रसाद यादव, साकिन-डिंगुरपुर,
प्रबन्धक सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डिंगुरपुर बनाम गाँवसभा
तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़।

सा0-किताहेठार डिंगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वाद मनीष कुमार यादव पुत्र धर्मू प्रसाद यादव, साकिन-डिंगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर प्रबन्धक सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डिंगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर जिला-आजमगढ़ ने फसली सन् 1421 से 1426 के खाता संख्या-162 गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हे0 में से 0.231 हे0 स्थित ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़ को अकृषिक दर्ज किये जाने के बाबत दावा प्रस्तुत कर कहा है कि वादी उक्त भूखण्ड संख्या गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हे0 में से 0.231 हे0 स्थित ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़, का बैनामा लिया है तथा सह संक्रमणीय भूमिधर है एवं काबिज दाखिल है। उपरोक्त भूखण्ड में प्रार्थी द्वारा सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डींगुरपुर का विद्यालय भवन खेलकूद का मैदान नल आदि लगाकर बतौर आबादी सहन आदि बनाकर रह रहा है। उक्त विद्यालय चारो तरफ से बाउण्ड्रीवाल से घिरी हुई है। प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है। नियमानुसार तहसील से रिपोर्ट मगायी गयी, जिस पर हल्का लेखपाल ने स्थलीय जांच करके अपनी रिपोर्ट दिनांक-20.02.2019 में लिखा है कि गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हे0 में से 0.231 हे0 स्थित ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, पर वादी को विद्यालय भवन निर्मित है तथा बच्चो के खेल कूद के लिए मैदान व बाउण्ड्रीवाल से घिरी हुई है। जिस पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही होता है, जो अकृषिक घोषित होने योग्य है। उक्त भूमि पर कृषि या कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही होता है। इसी रिपोर्ट को तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक-21.02.2019 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0 की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2019, जो तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक-21.02.2019 को संस्तुति सहित अग्रसारित है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा पत्रांक-348/स0म0नि0/2018 दिनांक-05.09.2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषक भूमि घोषित किये जाने हेतु शुल्क सर्किल रेट के अनुसार आगणिक मूल्य का 01 प्रतिशत रू-6815-00 को चालान संख्या-04 द्वारा जमा कर दिया गया है,' एवं न्याय शुल्क हेतु 6820-00 का स्टाम्प भी पत्रावली के साथ संलग्न है।

आदेश

क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक-20.02.2019, जो तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक-21.02.2019 को संस्तुति सहित अग्रसारित है, स्वीकार की जाती है। ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़ स्थित गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हे0 में से 0.231 हे0 अकृषिक घोषित किया जाता है। इस आदेश से स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी अमलदरामद खतौनी के विवरण कॉलम में अंकित करायी जाय, जिससे बनने वाली खतौनी में अकृषिक अंकित होती रहे। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक कार्यालय बूढ़नपुर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय।

उप जिलाधिकारी
बूढ़नपुर-आजमगढ़

TRUE COPY

5-3-19

नाम कार्यालय — श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय इकौना

नाम आवेदक — मनोज कुमार

नाम मौजा — [illegible] / ओगुरपुर [illegible]
तहसील इकौना — श्रावस्ती

विवरण नकल — नकल आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी
महोदय इकौना — श्रावस्ती
पारित दिनांक 5-1-2016 ई
अविलम्बित नकल

07 फीस —
1+7

मामूली/अर्जेन्ट — मामूली

RA
[illegible]
[illegible]
5-1-16

विवरण — नकल आवश्यक प्रयोजन

प्रार्थी

आवेदक

दिनांक 5-1-2016

[illegible] 16 [illegible] 1435 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 5-1-16

[illegible] 16

न्यायालय उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर,आजमगढ़।

वाद सं0 धारा 143 ज0वि0अ0

सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति बनाम ग्रामसभा

ग्रा0-किताहेठार,डॉगुरपुर परगना-कौड़िया तहसील-बूढ़नपुर,आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक मनीष कुमार यादव सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा - समिति ग्रा0-किताहेठार ,डॉगुरपुर परगना-कौड़िया तहसील-बूढ़नपुर जि0आजमगढ़ के खाता सं0 233 के गा0सं0 216 रक्बा0-260 हे0 के बावत दायर करके कहा है कि उपरोक्त गाटा पर वादी द्वारा कृषि कार्य नहीं किया जाता है। वादी विवादित भूमि में विद्यालय भवन बनाकर चलाया जा रहा है,और इसमें किसी भी प्रकार का कृषिकार्य नहीं होता है।

नियमानुसार तहसील से स्थलीय रिपोर्ट मंगायी गयी,जो ना0 तहसीलदार द्वारा दिनांक 04-01-16 को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है,रिपोर्ट में लिखा है कि विवादित भूमि अकृषिक के रुप में प्रयोग में लायी जा रही है।अकृषिक होना सही है।वाद स्वयमेव[?] किया गया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन से विदित है कि ना0 तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 04-01-16 स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

ग्राम- किताहेठार ,डॉगुरपुर परगना-कौड़िया तहसील-बूढ़नपुर जि0आजमगढ़ के गाटा संख्या 216 रक्बा0-260 हे0 सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति को अकृषिक घोषित किया जाता है। मालगुजारी माफ की जाती है।आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बूढ़नपुर को भेजी जाय। परचा अमलदरामद जारी किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

5.1.16

उप जिलाधिकारी
बूढ़नपुर,आजमगढ़।

Date of application
Applied for
Date of notice
Date of ...

5-1-16
5-1-16
5-1-16

TRUE COPY
READER

[illegible]

वाद 7201815060602714

[illegible] 80

नीरज कुमार बनाम [illegible]

[illegible]

[illegible] 2.5.10

[redacted]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :बूढ़नपुर
वाद संख्या :-03714/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2018150606002784
मनीष कुमार यादव बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

साकिन– किताहेठार, परगना कौड़िया, तहसील बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़।

संशोधित निर्णय

प्रस्तुत वाद मनीष कुमार यादव पुत्र धर्मू प्रसाद साकिन डिंगुरपुर परगना कौड़िया, तहसील बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ ने खाता संख्या 72 के गाटा सं0 218 रक्बा 0.360हे0 के स्वामी सदभावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डिंगुरपुर तहसील बूढ़नपुर जनपद–आजमगढ़ है। जिसका मै प्रबन्धक हूँ उक्त भूमि जरिये बैनामा पूर्व में नगीना व राजेशपुत्र दयानाथ साकिन वाजिदपुर से बैनामा बासमती मां सरस्वती अम्बेडकर प्रा0वि0 किताहेठार रक्बा 168 कड़ी व बासमती मां सरस्वती पूर्व मा0 विद्यालय किताहेठार 280 कड़ी व गजाधर गुरुकुल नन्हकू दास महाविद्यालय डिंगुरपुर रक्बा 168 कड़ी लिया गया था। जिसका भी मै प्रबन्धक हूँ उक्त तीनो संस्थाओं के भूमि थी लेकिन किसी कारणवश संस्था नही चल पायी बाद मे तीनो संस्थाओ की जमीन व मूल खातेदार नगीना व राजेश ने मिलकर बैनामा सदभावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डिंगुरपुर के नाम पंजीकृत बैनामा कर दिया जिसका नामान्तरण जिसकी सम्पूर्ण भूमि मे विद्यालय भवन निर्मित है तथा बच्चो के खेलकूद मैदान व बाउण्ड्री बाल से इस प्रकार इसमे खेती नही होती है और न ही यह भूमि कृषि योग्य भूमि है। जो अकृषित घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

निमानुसार तहसील से रिपोर्ट मंगाई गयी जिसमे प्रभारी रा0नि0 कौड़िया ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.10.2018 मे उल्लेखित किया है कि ग्राम किताहेठार के खाता सं0 72 गाटा सं0 218 रक्बा 0.360हे0 सदभावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डिंगुरपुर तहसील–बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ प्रबन्धक मनीष कुमार यादव पुत्र धर्मू प्रसाद यादव साकिन डिंगुरपुर के नाम उक्त गाटा अकृषिक है क्योंकि इसमे विद्यालय, खेल का मैदान आदि है जो कृषिक कार्य से भिन्न है जिसका मूल्यांकन श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार 395 रू0 प्रति वर्ग मी0 की दर से 3600 वर्ग मी0 x395=1422000 रू0 होता है जिसका 1 प्रतिशत 14200 रू0 होता है जो चालान द्वारा बैंक मे जमा किया गया है जिसे कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। इसी रिपोर्ट पर तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक 15.11.2018 को अकृषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति सहित अग्रसारित है, स्वीकार्य करने योग्य है

<u>आदेश</u>

राजस्व निरीक्षक कौड़िया की रिपोर्ट दिनांक 28.10.2018, जो तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक 15.11.2018 को संस्तुति सहित अग्रसारित है, स्वीकार की जाती है ग्रा0–किठाहेठार परगना–कौड़िया तहसील–बूढ़नपुर जिला आजमगढ़ के खाता सं0 72 मे गाटा सं0 218 रक्बा 0.360 है0 अकृषिक घोषित किया जाता है। परचा अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक कार्यालय बूढ़नपुर को भेजा जाये। यह आदेश खतौनी के विवरण के कालम मे अंकित हो95 जिसकी प्रवृष्टि बनने वाली अगली खतौनी मे होती रहे। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी,
बूढ़नपुर–आजमगढ़।

1043

21-12-18

21-12-18

21-12-18

TRUE COPY

21-12-18

5रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

ONE RUPEE INDIA

ONE RUPEE INDIA

[illegible]

আধার নং [illegible] বয়স ৪০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

২৮/২/১৯